न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 95/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/318

अनवान्

1. श्रीमती गंगा कुंवर पुत्री शौभागसिंह पत्नी जवानसिंह राव निवासी खरदेवला तह. बडी सादडी जिला चित्तौडगढ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती भंवरबाई पत्नी शौभागसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्रीमती मोहन देवी पत्नी देवीलाल लौहार निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्रीमती आंजना देवी पत्नी जगन्नाथ लौहार निवासी बोयणा तह. मावली।
4. श्रीमती दाखुबाई पत्नी पुरूषोतम लौहार निवासी बोयणा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.11.2024

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 126, 127, 128, 129, 130, 134, 251, 263, 264, 295, 296, 297, 301, 304, 305, 306, 307, 308 किता 18 कुल रकबा 5.9650 हेक्टेयर उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित हो विपक्षी सं. 1 भंवरबाई के नाम पर 1/5 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 309, 315, 316, 317, 318, 319 किता 6 कुल रकबा 1.5298 हेक्टेयर उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित हो विपक्षी सं. 2 मोहनदेवी के नाम पर 2/15, प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर 2/15 एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर 2/15 हिस्सानुसार अंकित है। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 310, 343, 344, 345 किता 4 कुल रकबा 2.6304 हेक्टेयर उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित हो विपक्षी सं. 2 मोहनदेवी के नाम पर 2/15, प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर 2/15 एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर 2/15 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 346, 347 किता 2 कुल रकबा 3.1808 हेक्टेयर उक्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित हो विपक्षी सं. 2 मोहनदेवी के नाम पर 1/3, प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर 1/3 एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं।

2. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स, द में वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है और उक्त भूमि पूर्व में मेरे दादाजी मोडसिंहजी के नाम पर अंकित थी और मुझ प्रार्थीया को जन्म से ही उक्त भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, मुझ प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास मेरे दादाजी की मृत्यु के पूर्व ही हो जाने से उक्त भूमियों का नामान्तरकरण सीधे ही मेरी माताजी प्रतिवादी सं. 1 भंवरबाई के नाम पर खोला गया जबकि उक्त भूमियों में मेरा नाम भी मेरी माताजी के साथ राजस्व रिकार्ड मे अंकित होना चाहिए था और मुझ वादीया का उक्त भूमि में 1/10 हिस्सा है और मेरी माताजी ने भी अपने नाम पर अंकित भूमियों में से परिशिष्ठ ब. स. द में वर्णित भूमियों में से अपने 1/5 हिस्सा को प्रतिवादी संख्या दो, तीन व चार को विकय कर दिया जबकि अ, ब, स, द में वर्णित भूमियों में मुझ वादीया का 1/10 हिस्सा है और मे अपने उक्त 1/10 हिस्सा भूमि पर काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग मे है

3. यह कि मुझ वादीया को उक्त (अ,ब,स,द) मे वर्णित पैतृक भूमि मे जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरे दादाजी की मृत्यु से पूर्व ही हो जाने से उक्त पैतृक भूमि मेरे दादाजी मोड़सिंहजी की मृत्यु हो जाने पर मेरी माताजी प्रतिवादी संख्या एक के नाम हिस्सानुसार दर्ज हुई जबकि उक्त नामान्तरणकरण मे मेरी माताजी के साथ मेरा नाम भी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज होना चाहिए था और उक्त भूमि मे मेरा 1/10 हिस्सा है परन्तु अकेले मेरी माताजी के नाम पर दर्ज होने से मेरी माताजी ने उक्त भूमियों मे से परिशिष्ठ ब, स, द में वर्णित भूमियों को प्रतिवादी संख्या दो तीन व चार को विक्रय कर दी जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही था क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक भंवरबाई का उक्त भूमि मे मात्र 1/10 हिस्सा बनता है और उनको अपना 1/10 हिस्सा ही विक्रय करने का अधिकार था इसलिए परिशिष्ठ अ मे वर्णित भूमियों मे मेरा नाम प्रतिवादी संख्या एक के साथ 1/10 हिस्सानुसार एवं परिशिष्ठ ब, स, द में वर्णित भूमियों मे से प्रतिवादी संख्या दो से चार के नाम पर अंकित भूमियों में से अपने 1/10, 1/10 हिस्सा को मे वादीया अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकन करवाने के अधिकारी हूं।

4. यहकि उक्त वाद पत्र (अ, ब,स, द) में वर्णित भूमि पैतृक जायदाद है और मुझ प्रार्थीया को जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरे दादाजी की मृत्यु से पूर्व ही हो जाने से उक्त पैतृक भूमि मेरे दादाजी मोड़सिंहजी की मृत्यु हो जाने पर मेरी माताजी प्रतिवादी संख्या एक के नाम हिस्सानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुई जबकि उक्त नामान्तरणकरण मे मेरी माताजी के साथ मेरा नाम भी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज होना चाहिए था और उक्त भूमि मे मेरा 1/10 हिस्सा है परन्तु अकेले मेरी माताजी के नाम पर दर्ज होने से मेरी माताजी ने उक्त भूमियों में से परिशिष्ठ ब,स, द में वर्णित भूमियों को प्रतिवादी संख्या दो तीन व चार को विकय कर दी जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही था क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक भंवरबाई का उक्त भूमि में मात्र 1/10 हिस्सा बनता है और उनको अपना 1/10 हिस्सा ही विक्रय करने का अधिकार था परन्तु चूंकि वर्तमान मे उक्त परिशिष्ठ ब,स,द मे वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या दो, तीन व चार के नाम पर अंकित होने से इनकी नियत मे फितूर उत्पन्न हो गया है और उक्त भूमियों को किसी अन्य को विकय करने पर आमादा है इसलिए विपक्षी संख्या दो से चार को न्याय हित मे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हो गया है कि वो उक्त ब, स, द मे वर्णित भूमियों में इसके नाम पर पर अंकित हिस्सा भूमि मे से मुझ प्रार्थीया के हिस्से व कब्जे की 1/10, 1/10 हिस्सा भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी तरह से किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे और राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

5. यहकि वादीया का प्राइमाफेसी कैस है क्योकि (अ, ब, स, द) मे वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है और मे वादीया स्व० मोड़सिंह की जायन्दा पौत्री हूं और मुझे जन्म से ही उक्त पैतृक भूमियों मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि उक्त पैतृक भूमि मे से प्रतिवादी संख्या एक के साथ मेरा भी 1/10, 1/10 हिस्सा है और हम उक्त हमारे हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं और मेरे ही कब्जे काश्त में है और यदि विपक्षी संख्या दो से चार उक्त पैतृक भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर अंकित होने का नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को विक्रय कर देगे तो इस प्रकार के अवेधानिक कार्य से जो क्षति मुझ वादीया को होगी उसका मूल्याकंन रूपयो पैसो मे किया जाना असंभव है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या दो से चार को किसी प्रकार की क्षति नही होगी।

6. यहकि मुझ वादीया को प्रतिवादी संख्या दो से चार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिंनाक 20–08–2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या दो से चार ने उक्त ब, स, द मे वर्णित पैतृक भूमि मे से इनके नाम पर अंकित हिस्सा भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया के पक्ष मे व विपक्षीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि :– (अ) यह कि प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षी संख्या एक से चार के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त अ, ब, स, द मे वर्णित पैतृक भूमि मे से इनके नाम पर अंकित है उक्त भूमि मे से मुझ वादीया के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

1/10—1/10 हिस्सा भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की यथावत स्थिति बनाये रखे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 2 से 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि विपक्षीया संख्या 1 के ससुर ने अपने जीवनकाल में ही विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष में मौखिक रूप से छोड दी थी इस तरह उक्त सम्पूर्ण भूमि विपक्षी सं० 1 की निजी जायदाद हो गई। जिसमें प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा व आधिपत्य नहीं रहा तथा विपक्षीया संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण ऑथोरिटी ने विधिवत् तरीके से हुई जांच पडताल करने के बाद विपक्षीया संख्या 1 के नाम पर भूमि नामान्तरित की तथा विपक्षी संख्या 1 कर्ता खानदान होकर उसने अपने पति व ससुर के निधन के बाद उनका सारा सामाजिक क्रियाकर्म व उनके दायित्व का निर्वहन उन्ही के द्वारा किया गया तथा उनके समस्त दायित्वो को विपक्षी संख्या 1 के द्वारा निपटाया गया इस तरह प्रार्थीया का कभी भी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, विपक्षीया संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती रही तथा उसके बाद खातेदारी हक अधिकार की हैसियत से उक्त ब, स, द में वर्णित भूमि में से सम्पूर्ण हक हिस्सा विपक्षी संख्या 2, 3, 4, को विधिवत तरीके से विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया तथा बिकावनामा विपक्षीगण के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 09.05.2017 को पंजीबद्ध करवा दिया। तथा विक्रय पत्र पर प्रार्थीया के पति ने भी हस्ताक्षर कर दिये।

8. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीया की मौरूसी जायदाद होना प्रार्थीया का जन्म से हक अधिकार होना तथा प्रार्थीया का 1/10 वां हक हिस्सा होना सारे तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज भूमि में 1/10 वे हक हिस्से की घोषणा कराने की कानूनी अधिकारी नहीं है। चूंकि उक्त भूमि को विपक्षीया संख्या 1 को उसके ससुर ने अपने जीवनकाल में ही त्याग कर दी थी तथा इस प्रकार उक्त भूमि विपक्षीया संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होकर कर्ता खानदान की हैसियत से विपक्षी संख्या 1 को हर प्रकार से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को हस्तातंरण, विक्रय बैह आदि करने का पूरा हक अधिकार प्राप्त था इसी हक अधिकार के तहत विपक्षी संख्या 2 से 4 ने विपक्षी संख्या 1 से पूर्ण विक्रय प्रतिफल के बदले भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा बिकावे नामे का पंजीयन भी विपक्षी संख्या 1 ने विधिवत तरीके से विपक्षीगण से विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया है जो आज भी प्रभावी है तथा प्रार्थीया ने कहीं भी कथित विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

बिना निरस्त कराये प्रार्थीया का वाद पत्र भी चलने योग्य नहीं है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है इस तरह मौके पर विधिक कब्जा क्रेता विपक्षी संख्या 2 से 4 तक को सिपुर्द कर दिया तथा विक्रय प्रलेख में प्रार्थीया के पति स्वयं ने साख दी है तथा पंजीयन उप पंजीयक अधिकारी के समक्ष भी विक्रय पत्र में अपने हस्ताक्षर किये है इस तरह कथित पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 2 से 4 खातेदार काश्तकार होकर भूमि पर मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है तथा सीमेन्ट से बनी हुई ईटो से मौके पर बाउण्ड्रीवाल विपक्षीगण/क्रेतागण द्वारा बना रखी है तथा इस प्रकार क्रेतागण/विपक्षी संख्या 2 से 4 का एक्सक्लूजीव भू भाग पर कब्जा काश्त चला रहा है विपक्षीगण सं० 2 से 4 सद्भावी क्रेता है तथा लेकिन वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने की वजह से विपक्षीया संख्या 1 प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति सभी ने आपस में दुरभि संधि कर खरीददारान/विपक्षी संख्या 2 से 4 तक से जमीन पुनः हडपने की नियत से षडयंत्र रचकर यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थीया को वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है तो प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कारण हीं नही है इस वजह से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है।

9. यह कि प्रार्थीया का ना तो प्राइमाफेसी केस है ना ही सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है और न ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होने वाली है जबकि विपक्षी संख्या 2 से 4 ने पूर्ण विक्रय प्रतिफल के बदले विपक्षीया संख्या 1 से पंजीकृत विक्रय प्रलेख से जमीन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा खरीद से विपक्षी संख्या 2 से 4 काबिज हो, भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा, अधिकार व आधिपत्य नहीं है, विपक्षी संख्या 2 से 4 रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है इस तरह रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध भी किसी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसके अलावा प्रार्थीया का कब्जेयाबी के अभाव में व सभी सहकाश्तकार को बिना पक्षकार बनाये भी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्तनीय है ।
10. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार निषेधाज्ञा के लिये सभी सहकाश्तकार को पक्षकार बनाना आवश्यक है उनके अभाव में प्रार्थीया का निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है ।
11. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय अनुतोष व विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे ।
12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं तथा परिशिष्ट ब, स, द में वर्णित भूमि विपक्षी सं. 2 से 4 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। जो संलग्न नकल जमाबन्दी से स्पष्ट हैं। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। विपक्षी सं. 1 को भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं तथा विपक्षी सं. 2 से 4 को भूमि क्रय करने से प्राप्त हुई हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित हुआ हैं। विपक्षीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में हैं। प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 को भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं तथा विपक्षी सं. 2 से 4 द्वारा क्रय करने से प्राप्त हुई हैं। विरासत का नामान्तरकरण एवं विक्रय पत्र विधि विरूद्व है या नहीं उक्त तथ्यों को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान में विपक्षीगण हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगें। उपरोक्त के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested